भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1662
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेघालय के गारो पर्वतीय क्षेत्र में जेजेएम का कार्यान्वयन

1662. श्री सालेंग ए. संगमाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए घरों की संख्या और इस पूरे क्षेत्र को इस योजना के तहत शत प्रतिशत कवर करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ख) क्या सरकार को गारो हिल्स के सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में जेजेएम का विस्तार करने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत गारो हिल्स क्षेत्र में कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;
(घ) गारो हिल्स में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नव-संयोजित घरों के लिए सतत जल स्रोत सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या उक्त क्षेत्र में जेजेएम परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कोई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, गारो हिल्स क्षेत्र में 0.01 लाख (0.46%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 02.12.2024 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत, क्षेत्र में लगभग

2.28 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2024 तक, क्षेत्र के 2.78 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.29 लाख (82.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 0.49 लाख परिवारों को राज्य द्वारा उसकी आयोजना के अनुसार कवर किए जाने की आशा है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन एवं अनुरक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। मेघालय राज्य ने सूचित किया है कि खराब सड़क संपर्क, वास्तविक और वित्तीय प्रगति को अद्यतन करने के लिए खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी और अल्पता अवधि के दौरान जल स्रोतों से कम उत्पादन गारो हिल्स क्षेत्र में मिशन के कार्यान्वयन में सामना की जा रही चुनौतियां हैं। प्राथमिकता के आधार पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण जल आपूर्ति स्रोतों के नवीकरण के लिए सामंजस्यता के अलावा प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है।

(ग) इस विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला/क्षेत्र-वार निधि आबंटन नहीं किया जाता है तथा तत्संबंधी ब्यौरा नहीं रखा जाता है और न ही इसका अनुरक्षण किया जाता है। हालांकि, केन्द्रीय आबंटन, आहरित निधि और मेघालय राज्य द्वारा संसूचित उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

	केंद्रीय					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
वर्ष	अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
2020-21	17.46	174.92	184.92	202.38	188.30	20.44
2021-22	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
2022-23	420.52	747.76	1,047.00	1,467.52	1,098.48	122.85
2023-24	369.04	3,567.25	1,500.00	1,869.04	1,572.14	171.74
2024-25*	296.90	653.60	196.08	492.98	440.40	51.98

*03.12.2024 तक एनडी: आहरित नहीं स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

(घ) सृजित अवसंरचना की दीर्घावधिक सततता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान करने से पहले तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता सामग्री और गुणवत्ता निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, जेजेएम के तहत अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, सांसद/एमएलए-एलएडी निधि, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए

हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के सहयोग से पुनरूद्धार के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोतों की पहचान की गई है और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए ग्राम समुदायों के बीच जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

(ङ) ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से मेघालय सहित राज्यों में *नल जल मित्र कार्यक्रम* कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि वे योजना संचालकों के रूप में कार्य कर सकें और अपने गांव में पाइपगत जल आपूर्ति योजना (योजनाओं) के निवारक रख-रखाव सहित छोटी-मोटी मरम्मत तथा रखरखाव करने में सक्षम हो सकें। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में अब तक 2,893 स्थानीय निवासियों को प्लंबर और राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

*****